हल्का उत्तरी का वार्ड नंबर कागजों में एक, हकीकत में शून्य

टूटे पार्क, जर्जर सड़कें और गंदगी से जूझता वार्ड नंबर एक, नशेड़ियों का अड्डा बनता इलाका

हल्का उत्तरी के वार्ड नंबर एक की तस्वीरें।

(फोटो लक्की भट्टी)- समर न्यूज

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज

हल्का उत्तरी के वार्ड नंबर एक की तस्वीर कागज़ों में जितनी चमकदार दिखती है, जमीनी हकीकत उतनी ही बदरंग है। जालंधर रोड और लुधियाना साइड से शहर में प्रवेश करने वाला यह मुख्य मार्ग सफाई, पार्क-सुधार और सड़क रखरखाव के नाम पर बदहाली का शिकार है। मोहल्ला निवासी रॉक्सी, लवली, जसपाल, मोंटी, तरुण बेहल, नितिन, गौरव और दीपक गुलाटी सहित कई लोगों ने बताया कि वार्ड का मुख्य पार्क और प्रवेश मार्ग गंदगी के ढेरों से अटा पड़ा है। झूले टूटे पड़े हैं और शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे परिवारों का पार्क में आना मुश्किल हो गया है।

निवासियों का कहना है कि वार्ड के अंदर की मुख्य सड़कें लंबे समय से जर्जर अवस्था में हैं। कई बार पैचवर्क करवाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। हाल ही में हुए पैचवर्क का कुछ ही दिनों में उखड़ना शुरू हो गया है, जिससे सड़क पर बिखरी बजरी दोपहिया वाहनों के लिए खतरा बन रही है। कई वाहनों के फिसलने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे बनी सर्विस लाइन पर दुकानदारों ने सामान फैलाकर कब्ज़ा कर लिया है। होटल और स्कूल संचालक सड़क को अपनी निजी पार्किंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मौजूदा पार्षद रतनजीत कौर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन उठाना तक ज़रूरी नहीं समझा। लोगों का कहना है कि चुनावों के समय किए गए वादे अब सिर्फ पोस्टरों में रह गए हैं, जबकि वार्ड के हालात दिनों-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निवासी जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि वार्ड की सूरत सुधर सके और लोगों को राहत मिल सके।

नहरी सूआ पर पेड़ों की कटाई पर रोक

शहरी जंगल बचाने की याचिका पर ट्रिब्यूनल सख्त

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

फतेहपुर आवाणा से अयाली खुर्द तक माइनर कैनाल (नहरी सूआ) के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के तहत हो रही पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से कटाई रोकने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता इंजी. कपिल अरोड़ा और कुलदीप सिंह खहिरा ने ट्रिब्यूनल के समक्ष बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने कैनाल के कंक्रीटीकरण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन मंज़ूर करते समय 391 पेड़ों को हटाने की अनुमति दी थी। जबकि 350 से अधिक पेड़ों को बचाया जा सकता था, पर किसी भी विभाग ने वैकल्पिक तकनीकों पर विचार तक नहीं किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह क्षेत्र शहर के भीतर मौजूद एक दुर्लभ शहरी जंगल है, जिसे संवेदनशीलता से संरक्षित किया जाना चाहिए।

इंजीनियर जसकीरत सिंह और डॉ. अमनदीप सिंह बैंस ने भी सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें विकास कार्यों में पर्यावरण क्षति को न्यूनतम रखने और सभी विकल्पों की जांच अनिवार्य बताई गई है। सुनवाई में यह तथ्य भी सामने आया कि 31.98 लाख रुपये वन भूमि और नुकसान की भरपाई के तौर पर जमा करवाए जा चुके हैं, जबकि मैनुअल कंक्रीटिंग जैसी तकनीकें कई स्थानों पर बिना पेड़ काटे सफल रही हैं।

पब्लिक एक्शन कमेटी ने ट्रिब्यूनल को अवगत कराया कि विभागों ने अंतिम आदेश का इंतज़ार किए बिना ही कटाई शुरू कर दी थी। वन विभाग ने स्वीकार किया कि अब तक 207 पेड़ काटे जा चुके हैं। इस पर पीठ ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि इसी तरह की लापरवाही पहले भी सरहिंद नहर से जुड़े मामले में देखी जा चुकी है।

एनजीटी के आदेशः

आगे होने वाली सभी पेड़ कटाई पर तत्काल रोक।

पर्यावरण मंत्रालय और पंजाब सिंचाई विभाग को निर्देश कि पेड़ काटने से पहले किन-किन विकल्पों पर विचार किया गया, इसका विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में होगी।

जमालपुर को मिलेगा नया मियावाकी फॉरेस्ट

मेयर व विधायक ने किया शुभारंभ

दलजीत / लक्की | लुधियाना
समर न्यूज़

परियोजना का शुभारंभ करते हुए। - समर न्यूज़

शहर को हराभरा बनाने के उद्देश्य से निगम प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर व हल्का पूर्वी विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला ने शुक्रवार को जमालपुर मैट्रो रोड स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर के पास पार्क में मियावाकी फॉरेस्ट स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। यह मियावाकी फॉरेस्ट गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट्स नाम से 2.5 एकड़ ग्रीन बेल्ट में वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इकोसिख के सहयोग से विकसित किया जाएगा। मेयर इंदरजीत कौर और विधायक दलजीत ग्रेवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्रीन बेल्ट में इस प्रोजेक्ट में 60 तरह के 20000 पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही बैठने के लिए बेंच, ग्रीन पार्क, नेचर जिम भी होंगे। यह फोकल पॉइंट लुधियाना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट होगी जिसे वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड डेवलप करेगा। उन्होंने कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य उद्योगपतियों व कॉरपोरेट संस्थानों से भी अपील की कि वे अपने इलाके में पड़ने वाले ग्रीन बेल्ट व पार्कों को गोद लेकर शहर को हरा-भरा बनाने में योगदान दें। मेयर और विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मार्गदर्शन में राज्य में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।कार्यक्रम के पश्चात मेयर इंदरजीत कौर और विधायक ग्रेवाल ने वर्धमान स्टील्स के औद्योगिक परिसर के निकट विकसित किए गए मियावाकी फॉरेस्ट का भी दौरा किया। आज इस उद्घाटन समारोह में पार्षद अमरजीत सिंह,जोनल कमिश्नर नीरज जैन, वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के चेयरमैन सचित जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के रेवाड़ी, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट मनुज मेहता, सीएसआर हेड अमित धवन तथा इकोसिख से बवनीत सिंहएसडीओ समर सिंह ग्रेवाल, मोहित सूद, पवन नागपाल, सोनू वर्मा, जितेंद्र सिंह काका, तजिंदर सिंह शंटी, गुरमीत कौर, राजेश गोयल, प्रिंस,परमजीत सिंह मणि, सुखबीर सिंह, हनी शर्मा, परमजीत सिंह काका उपस्थित थे।

महासंकीर्तन का 34वां दिवसः संत महामंडलेश्वरों का आगमन और श्रीराम कथा का अमृत प्रवाह

समर न्यूज़ | लुधियाना

महासंकीर्तन कार्यक्रम - समर न्यूज़

श्री दंडी स्वामी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी ट्रस्ट, सेवा परिकर एवं श्री राधा गोविंद संकीर्तन मंडल (सेवक सिद्धपीठ) द्वारा आयोजित 75वां श्री हरिनाम संकीर्तन तथा गौलोकवासी पंडित जगदीश चंद्र कोमल जी महाराज के 25वें वरदान दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा 38 दिवसीय महासंकीर्तन कार्यक्रम आज अपने 34वें दिन में प्रवेश कर गया। कार्यक्रम का आयोजन पं. श्री राज कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में भक्तिभाव के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष रूप से श्रीधाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य श्री गौर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज (भगवद धाम, हरिद्वार) तथा स्वामी रविन्द्रानंद जी महाराज (मस्तराम बाबा), भगवद धाम हरिद्वार ने उपस्थित होकर श्रद्धालुओं को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। परम पूज्य श्री गौर दास जी महाराज ने श्रीराम कथा (उत्तरकांड) को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रों के महत्वपूर्ण उपदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को भूखे रहकर व्रत नहीं करना चाहिए, उन्हें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए तथा सत्संग व भजन में मन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्संग का अवसर अनेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है और चाहे गृहस्थ जीवन हो या वैराग्य मार्ग, प्रतिदिन सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि सत्संग से विवेक का विकास होता है और सांसारिक आकर्षण स्वतः ही कम होने लगते हैं। व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी आंतरिक आनंद की अनुभूति करता है, जो अंततः उसे प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा भक्त वही है जो अपने सुख की चिंता न कर अपने प्रियतम के सुख की कामना करता है, और यह भाव केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री गौर दास जी महाराज की कथा 13 दिसंबर प्रातःकाल तक निरंतर चलेगी। वहीं प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक दिल्ली से पधारे भैया मुनीश चौहान एवं दीपेश जुनेजा जी द्वारा भावपूर्ण हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है।

प्लेटफार्मों पर पार्सल का कब्जा, अधिकारी चुप

सुनील | लुधियाना
समर न्यूज

प्लेटफार्मों पर पार्सल का कब्जा - समर न्यूज

रेल यात्रियों के लिए इन दिनों स्टेशन का प्लेटफार्म खतरे से खाली नहीं। कारण है कि रेलवे के पार्सल विभाग में जो भी सामान बुक किया जा रहा है। उसको प्लेटफार्म पर ऐसे बिखेर कर रखा जा रहा है कि ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ही नहीं यह बिखरे हुए पार्सल विभाग के नग किसी यात्री के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। कई बार देखने को आया है कि कुछ यात्री चलती ट्रेन से ही उतरते हैं। ऐसे यात्री अगर इस सामान से टकरा गए तो वह पलट कर ट्रेन की चपेट में भी आ सकते हैं। इसके बारे में रेलवे स्टेशन सहित मंडल के आला अधिकारी भली भांति जानते हैं लेकिन वह हालत को देखने के बाद भी आंख मूंद लेते हैं। जिस जगह पर यह सामान रखा है उससे चंद कदम की दूरी पर ही पार्सल विभाग के मुख्य अधिकारी सहित आला अधिकारियों का दफ्तर ऐसे हालात रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ही नहीं बल्कि लुधियाना रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर बने हुए हैं। यानि सभी प्लेटफार्म पर ही रेल यात्रियों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह हालत सुधार नहीं सकते। रेलवे के अधिकारी अगर चाहे तो प्लेटफार्म पर इस बिखरे हुए सामान को सही ढंग से रखवाया जा सकता है। यह हालत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के दोनों ही नुक्कड़ पर है। यानि प्लेटफार्म के जालंधर और अंबाला साइड पर ऐसे हालात बने रहते हैं।

वीर बाल दिवस 2025 का आयोजन किया

समर न्यूज़ | लुधियाना

चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, पंजाब की ओर से वीर बाल दिवस 2025 का आयोजन बीसीएम स्कूल, शास्त्री नगर लुधियाना में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों को गुरु साहिबानों के बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया।कार्यक्रम में पंजाब के विभिन्न जिलों से आए बच्चों ने शबद गायन, भजन गायन, पोस्टर मेकिंग, डिक्लेमेशन और स्टिक प्रतियोगिता में भाग लेकर वीर बालों की वीरता और आदर्शों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। स्कूल परिसर देशभक्ति और नन्हे कलाकारों की प्रतिभा से गूंज उठा।राज्यपाल ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि "वीर बाल दिवस बच्चों को अपने संस्कारों और इतिहास से जुड़ने का अवसर देता है।"

अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं : सचिव सुमित

नेशनल लोक अदालत 13 को

समर न्यूज़ | लुधियाना

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना की सचिव सुमित सभरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को लुधियाना जिला अदालतों के साथ-साथ सिविल कोर्ट्स जगराओं, खन्ना, समराला और पायल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला एवं उप-मंडल स्तर की सभी अदालतों में लोक अदालत की बेंच स्थापित की जाएंगी। सचिव सुमित सभरवाल ने आम जनता से अपील की कि वे अपने आपसी विवादों का शीघ्र, सरल और कम खर्चीले तरीके से समाधान कराने के लिए नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायिक अदालतों में लंबित मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान किया जाएगा, जो अभी तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किए गए हैं। लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई की जाएगी, उनमें सिविल मामले जैसे किराया विवाद, बैंक रिकवरी, संपत्ति विवाद, बिजली और पानी के बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्तों से जुड़े मामले, सेवानिवृत्ति लाभ, वन अधिनियम से संबंधित केस, आपदा मुआवजा, आपराधिक समझौता योग्य मामले तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत शिकायतें शामिल हैं। इन मामलों की सुनवाई सिविल जजों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लोक अदालत में की जाएगी। सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों को स्थायी समाधान मिलता है।

भाषा विभाग द्वारा उर्दू कोर्स का नया सत्र शुरू

समर न्यूज़ | लुधियाना

जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भाषा विभाग की ओर से उर्दू भाषा सीखने के इच्छुक लोगों के लिए लुधियाना में उर्दू कोर्स का नया सत्र जनवरी 2026 से शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की अवधि छह महीने होगी और पूरे कोर्स की फीस मात्र 500 रुपये निर्धारित की गई है। डॉ. शर्मा ने बताया कि किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इस कोर्स में दाखिला ले सकता है। कक्षाएं शाम 5 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएंगी, ताकि नौकरीपेशा और कामकाजी लोग भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में इस कोर्स के कई विद्यार्थियों ने उर्दू भाषा में दक्षता हासिल की है और लुधियाना के विभिन्न सत्रों के अनेक शिक्षार्थियों ने राज्य स्तर पर भी स्थान प्राप्त किए हैं। पंजाब सरकार के अधीन भाषा विभाग न केवल पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रहा है, बल्कि अन्य भाषाओं के शास्त्रीय साहित्य का पंजाबी में अनुवाद कर पाठकों को विश्व साहित्य से जोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। विभाग द्वारा साहित्यिक और कार्यालयी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उर्दू भाषा की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए योग्य और अनुभवी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि उर्दू कोर्स के लिए दाखिला फॉर्म जिला भाषा अधिकारी कार्यालय, पंजाबी भवन, भारत नगर चौक, लुधियाना से किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति 77650-00367 और 96462-57743 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

अवैध निर्माणों पर निगम की बड़ी कार्रवाई

मल्हार रोड व घुमार मंडी में पांच इमारतें सील

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

हरविंदर सिंह और कमिश्नर आदित्य डेचलवाल - समर न्यूज़

जानकारी के अनुसार, दो अवैध इमारतें मल्हार रोड पर, एक मंदिर वाली गली (घुमार मंडी) में और दो मुख्य घुमार मंडी रोड पर स्थित हैं। मुख्य घुमार मंडी रोड की दो इमारतों को मालिकों द्वारा सीएलयू शुल्क जमा न करवाने पर सील किया गया, जबकि बाकी तीन इमारतों को बिना भवन नक्शा मंजूर करवाए निर्माण शुरू करने के कारण सील किया गया है।

ज़ोन–डी के एटीपी हरविंदर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल के निर्देश पर की गई है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल अपने बिल्डिंग के नक्शों को नगर निगम से मंजूर करवाएँ। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

विरोध | प्रशासन मीटिंग के लिए रेत ठेकेदारों को लेकर पहुंचा किसानों के पास

सतलुज बांध पर नहीं होने देंगे माइनिंग, किसानों ने किया विरोध

दीपक कुमार | श्री माछीवाड़ा साहिब
समर न्यूज़

सतलुज बांध पर काफ़ी वर्षों से रेत की माइनिंग समय-समय पर चलती रहती है, आसपास के लोग व समाजसेवी संस्थाएं इसका विरोध भी करती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आज सतलुज बांध के नज़दीक अलग अलग गांव से लोग इक्कठे हुए और उनके साथ माइनिंग विभाग के अधिकारी मीटिंग करने पहुंचे, अधिकारियों के साथ रेत के ठेकेदार भी थे। गांव वासियों ने आरोप लगाया कि नाजायज़ हो रही रेत की माइनिंग की वजह से बांध के किनारे कमज़ोर हो चुके हैं, इस लिए यहाँ से किसी को भी रेत का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लुधियाना से आए एक्सियन मनजीत सिंह व अन्य अधिकारी गांव वालों पर दबाव डाल रहे हैं कि रेत का काम ठेकेदारों को शुरू करने दिया जाए। लेकिन सभी गांव वालों गुरदर्शन सिंह, मंगल सिंह, हरदीप सिंह, जसवंत सिंह, गुरप्रीत सिंह, मोहन सिंह, जसविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, अमनदीप सिंह, परमजीत सिंह, यादविंदर सिंह, हरमनदीप सिंह व लखविंदर लख्खा आदि ने बोला कि जो बांध बना है वो प्राइवेट संपत्ति है और जिनकी भी जमीन में बांध बना है, उन सभी ने कोर्ट से स्टेअर्डर ले रखे हैं। इस लिए कोई भी हमारी जगह से टिप्पर नहीं निकलने दिए जाएंगे, इसके लिए लगभग 20 गांवों की पंचायतों ने मते पा दिए हैं। हाल ही में बनी थी बाढ़ की स्थिति अभी हाल ही में बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसको क्षेत्र के युवकों, बच्चो, बूढ़ों ने मिलकर डूबने से बचाया था, वर्ना पूरा क्षेत्र पानी में डूब जाता। लोगों का कहना है कि सतलुज में से रेत निकाले जाने के कारण बांध कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस से क्षेत्र की जमीनों का काफ़ी नुकसान होता है। पंजाब सरकार की एक स्कीम "जिसकी खेत उसकी रेत" के तहत बड़ा गोरखधंधा प्रशासन की मिलीभुगत से हो रहा है। ये तो उन क्षेत्रों के लिए था, यहाँ बाढ़ आई थी, लेकिन इसी की आड़ में रेत माफिया वहां से भी रेत उठवा रहे हैं, यहाँ कोई बाढ़ नहीं भी आई।

बांध मज़बूत करने का काम शुरु होगा जल्द : एक्सियन मनजीत सिंह ने बताया कि जल्दी ही बांध मज़बूत करने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए जनवरी 2026 में टेंडर लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक काम पूरा किए जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, बांध मज़बूत होने से कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

किसान यूनियन की फर्जी पर्ची से निकल रहे रेत टिप्पर व ट्राली

बड़ी अचंभे वाली बात है कि सतलुज से जो रेत के टिप्पर व ट्रॉली निकलते हैं, उनके पास भारतीय किसान यूनियन की फर्जी पर्चियां होती हैं। इसके लिए जब माइनिंग अफसरों से पूछा गया तो उन्होंने ये कह कर पल्ला झाड़ दिया कि इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। पुलिस भी इनके ऊपर कार्रवाई करने में निठल्ली साबित हो रही है।

ग्रुप एडिटरः अर्शदीप सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर : चंदन स्वप्निल*, मुद्रक, प्रकाशक, इंप्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट- 22, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पंचकूला। आरएनआई पंजीकरण संख्याः CHMUL/25/A1155
*इस अंक में प्रकाशित सभी समाचार पीआरबी के चयन एवं संपादन हेतु हैं। अधिनियम के अंतर्गत सभी उत्तरदायित्व और उससे उत्पन्न सभी विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होंगे। वर्ष 1 अंक 98